न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र परीक्षण सं०– 607 वर्ष 2020

CNR No. UPLL–01–002213–2020

उ०प्र०राज्य **प्रति** **सौरभ पंथ**

आदेश–पत्र

22–04–2022 :

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 25 ख अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं०

उक्त प्रार्थनापत्र अभियुक्त की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त व उसके अन्य साथियों से किराये वाले कमरे से 258 मीटर, पेंचकस व अन्य उपकरण बरामद करना बताया गया है तथा उक्त मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हुये रीडिंग को बैक करने का कथन किया गया है किन्तु दौरान विवेचना उक्त मीटर के मालकाना हक एवं विद्युत विभाग द्वारा अपने किसी उपभोक्ता को उक्त मीटर निर्गत किये जाने का कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है, न ही विभागीय तौर पर कोई तकनीकी जॉच उक्त मीटर की सील नष्ट किये जाने एवं रीडिंग बदले जाने आदि के सम्बन्ध में जब्त किये जाने के बाद से आज तक नहीं की गयी है। उक्त विद्युत मीटर का न तो अधिग्रहण ही किया गया है और न ही उनको जॉच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। विद्युत विभाग द्वारा एक विद्युत संयोजन पर एक विद्युत मीटर ही स्थापित किया जाता है, जिसके अनुसार रीडिंग का बिल दिया जाता है। अगर किसी उपभोक्ता के संयोजन से मीटर हटाया गया होता तो उसकी जानकारी विभाग को होती। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का छल किये जाने एवं विद्युत विभाग को क्षति पहुंचाये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 136, 137, 138 विद्युत अधिनियम एवं धारा 353, 420 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 136, 137, 138 विद्युत अधिनियम एवं धारा 353, 420 भा०दं०सं० से उन्मोचित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा तर्क किया गया है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है, वह अभियुक्त के विरूद्ध धारा 136, 137, 138 विद्युत अधिनियम एवं धारा 353, 420 भा०दं०सं० के अपराध का आरोप विरचित किये जाने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाकर उसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का सम्यक अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा पंकज मौर्या अवर अभियन्ता को दिनॉक 13–06–2019 को 11–30 बजे प्रातः अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, ललितपुर को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि स्टेशन रोड पर आकाश होटल के पास स्थित घर के एक कमरे में बड़े पैमाने पर मीटरों में संट लगाने एवं छेड़छाड़ की जा रही है, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, ललितपुर द्वारा वादी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों मौके पर जाकर निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर वादी अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उक्त स्थान पर पहुंचा तो जानकारी हुयी कि मुन्नालाल यादव के घर के कमरे को अभियुक्त सौरभ पंथ किराये पर लिये है तथा उस कमरे में ताला लगा होने के

कारण खिड़की से झांककर देखने पर पाया कि काफी संख्या में मीटर रखे हुये हैं, तब गृह स्वामी मुन्नालाल यादव से किरायेदार सौरभ पंथ को कमरे की चाबी सहित बुलाने को कहा गया। तत्पश्चात ताला खुलवाकर देखा गया तो सैकड़ों की संख्या में मीटर रखे पाये गये, साथ ही मीटर से छेड़छाड़ करने सम्बन्धी यंत्र, पेंचकस, इंजेक्शन, डायरी व अन्य प्रपत्र पाये गये, जिन्हें मौके पर सील किया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि मीटरों में संट लगाने, धीमा करने एवं रीडिंग बैक करने का कार्य किया जाता है, जिससे विद्युत विभाग को बिल बकाया की धनराशि अवरूद्ध हो रही है और विभाग को लाखों रूपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

दौरान विवेचना विवेचक को विद्युत विभाग द्वारा जो विवरण पत्र उपलब्ध कराया गया है। उसके अनुसार उक्त विद्युत मीटर विभिन्न उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन पर स्थापित किये गये थे। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में जो कथन किये गये हैं, उसके अनुसार अभियुक्त द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हुये संट लगाने, धीमा करने एवं रीडिंग बैक करने का कार्य किया जा रहा है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 136, 137, 138 विद्युत अधिनियम एवं धारा 353, 420 भा०दं०सं० के अपराध का आरोप विरचित किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः प्रार्थनापत्र 25 ख अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 25 ख अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनॉक 10–05–2022 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।